# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 31/2017

आरसीएमएस नम्बरः–2017/00112

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ---- प्रार्थी

बनाम

3. छिंगा पुत्र दौजी कौम कोली निवासी धौलपुर । ---- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित

**निर्णय**

दिनांक 28.02.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 33 रकवा 1 बीघा किस्म बा0दो0 बाके ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 रकवा 1 बीघा पर 5 दुकान स्थापित की है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत दयेरी में पेश हुयी। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 03.03.2020 को श्री शरीफ खान एडवोकेट उपस्थित आये। किन्तु अप्रार्थी एवं उसके अभिभाषक के प्रकरण में पैरवी ना करने के कारण दिनांक 26.10.2020 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र पर पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार का कथन है कि अप्रार्थी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 1 बीघा बाकै ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर पर बिना भूमि संपरिवर्तन कराये 5 दुकानें बना ली है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम कासिमपुर सम्वत् 2069-72 के अनुसार खसरा नम्बर 33 रकबा 1 बीघा का छिंगा पुत्र दौजी कोम कोली खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा भूमि का रूपान्तरण कराये बिना कृषि से अकृषि उपयोग में उक्त विवादित आराजी के लगभग 1 बिस्वा भाग पर 5 दुकान बना रखी है। जिसमें से एक दुकान में देषी शराब की दुकान संचालित है, जो कि सरकारी ठेका है।

पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 1 बीघा ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार छिंगा द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 33 रकवा 1 बीघा बाकै ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर पर खातेदार छिंगा पुत्र दौजी जाति कोली के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर में सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)